न्यायालय–सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी।

उपस्थित–शिव कुमार सिंह, (एच0जे0एस0)

I.D UP5743

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–815 / 2026

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0–1886 / 2026

(CNR UPLP 0100 4281-2026)

अनुपम आयु 20 वर्ष पुत्र राजाराम निवासी ग्राम बड़ागॉव, थाना शारदानगर, जिला लखीमपुर–खीरी।

बनाम

उ0प्र0राज्य

मु0अपराध संख्या–585 / 2025
धारा 303(2), 317(2), 336(3) बी0एन0एस0
थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी।

09.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त अनुपम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–585 / 2025, धारा 303(2), 317(2), 336(3) बी0एन0एस0, थाना फूलबेहड़, जिला लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके पूर्व सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो कोई जमानत प्रार्थना पत्र दिया है और न ही सेशन न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है।

3– संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी त्रिलोकी द्वारा सम्बन्धित थाने पर दिनांक 04.11.2025 को इस आशय की तहरीर दी गयी कि वादी दिनॉक–29.10.2025 को शाम 06:00 बजे अपनी दुकान के पास अंदेशनगर सैदीपुर मोड़ पर अपनी मोटरसाइकिल यू0पी0 31 के 0963 को रखकर किसी काम से लखीमपुर गया, जब सुबह आया तो मोटर साइकिल वहॉ पर नहीं थी। बहुत जगह देख लिया कहीं भी नहीं मिला, जिससे प्रतीत होता है कि उसकी मोटर साइकिल किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गयी है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अज्ञात के विरूद्ध उक्त मुकदमा धारा 303(2) बी0एन0एस0 में पंजीकृत किया गया तथा दौरान विवेचना फर्द बरामदगी के आधार पर प्रश्नगत मामले में धारा–317(2), 336(3) बी0एन0एस0 की वृद्धि की गयी। मामले की विवेचना प्रचलित है।

4— प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र के साथ संलगन शपथपत्र में मूल आधार यह लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसके द्वारा कोई भी कथित अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सीधा–सादा ग्रामीण व्यक्ति है तथा कथित घटना के समय वह मौके पर मौजूद नहीं था, उसका कथित घटना में कोई भी वास्ता नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त को मात्र संदेह के आधार पर अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से कोई भी कथित बरामदगी मोटर साइकिल नहीं है, उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। कथित बरामदगी की कोई भी जन साक्षी से पुष्टि नहीं करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त का नाम कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। मौके पर प्रार्थी/अभियुक्त को न तो पकड़ा गया है और न ही उसकी कोई भी उपस्थिति रही है। उक्त वाद में विवेचना प्रचलित है तथा विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा साक्ष्यों पर कोई बेजा असर पड़ने की संभावना नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी जमानत देने के लिए तैयार है तथा दी गयी जमानत सुविधा का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनॉक–22.05.2026, को प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त को संबंधित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया तथा प्रश्नगत चोरी की मोटर साइकिल बरामदगी की गयी है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6— जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7— पत्रावली के अवलोकन से प्रथमदृष्टया विदित है कि प्रारम्भ में प्रश्नगत मामले की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात के विरूद्ध धारा–303(2) बी0एन0एस0 के अन्तर्गत दर्ज करायी गयी थी। फर्द बरामदगी के अनुसार दिनॉक–22.05.2026 को थाना फूलबेहड़, जनपद खीरी की पुलिस द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त व सह अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाना तथा उनके पास से प्रश्नगत चोरी की मोटर साइकिल बरामद किया जाना दर्शित है। इसके अतिरिक्त बरामद मोटर साइकिल के इंजन नम्बर व चेचिस नम्बर का मिलान करने पर इंजन नम्बर खुरचा जाना दर्शित है। प्रश्नगत चोरी की मोटर साइकिल की शिनाख्त भी वादी मुकदमा से करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पुलिस के समक्ष जुर्म स्वीकारोक्ति की गयी

है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। मामले की विवेचना अभी प्रचलित है। अपराध गंभीर प्रकृति का है।

8– अतः मामले के तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त अनुपम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। जमानत आदेश की एक प्रति प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाए।

दिनॉक–09.06.2026

(शिव कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
लखीमपुर खीरी।

Digitally signed by SHIVA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.12 12:03:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court